न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या – 2, किशनगढबास
जिला – खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी : जगदीश प्रसाद मीना, आर.जे.एस.
––जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या–34/2025 (सीआईएस नं. 102/2025)

1. मनोज कुमार बसवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी सिख गुरद्वारे के पास किशनगढबास,जिला खैरथल–तिजारा।

––प्रार्थी

बनाम्

1. मीना देवी पत्नी मनोज कुमार उम्र 38 वर्ष निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

(एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 31.10.2025)

––अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री के.सी धमानी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

–:आदेश:– **दिनांकः 24.04.2026**

1. प्रार्थी मनोज की ओर से यह विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीया मीना दिनांक 01.09.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में उक्त तलाक याचिका के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पक्षकारान हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया मीना देवी के साथ दिनांक 24.05.2010 को ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिन्दु धर्म व रीति रिवाज रस्म बिरादरी के अनुसार संपन्न हुआ था। जिसका विवाह पंजीयन दिनांक 30.07.2014 को कराया गया। विवाह के बाद से पक्षकारान बतौर पति–पत्नी ग्राम में साथ रहने लगे जिससे प्रार्थी के नुत्फे से अप्रार्थीया को 2 संतान पुत्री अनुराधा दिनांक 19.10.2011 को वह पुत्र अजय दिनांक 18. 01.2013 को पैदा हुआ। अप्रार्थीया चिडचिडे स्वभाव की व पाश्चात्य संस्कृति से

प्रभावित औरत है जो विवाद के बाद से ही अप्रार्थी व प्रार्थी माता–पिता व परिवार वालों के साथ छोटी–छोटी बातों को लेकर झगडा फसाद करती जिससे तंग आकर उसके माता–पिता व भाई अलग हो गये तथा अलग किराये के मकान मे रहने लगी। अप्रार्थीया प्रार्थी से झगडा करती और अपने पीहर से अपनी माता–पिता व भाइयों को बुला लेती है, जो प्रार्थी व उसके माता–पिता से लडाई झगडा व मारपीट करते है तथा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देत हैं। अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थी व उसके परिवार वालों के प्रति और ज्यादा उग्र हो गया। अप्रार्थीया आये दिन प्रार्थी के माता–पिता जो किराये के मकान में अलग रहते है उनके साथ लडाई झगडा करती है जबकि उसके माता–पिता द्वारा उनका स्वयं का मकान अप्रार्थीया को दिया हुआ है तथा स्वयं किराये के मकान मे रहते है। इस जिस बाबत प्रार्थी की माता ने अप्रार्थीया को शांति बनाये रखने के लिए अंतर्गत धारा 126 135(3) बीएनएस में पाबंद कराया हुआ है। दिनांक 18.08.2025 को अप्रार्थीया चाकू लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र अजय और पुत्री अनुराधा को मारने के लिए पीछे–पीछे घूमती रही। अप्रार्थीया धमकी देता है कि या तो स्वयं मरेगी या प्रार्थी व उसके बच्चों को मारेगी। प्रार्थना पत्र के लिए बिनायदावी व बिनायमुखासमत दिनांक 18.08.2025 को पैदा हुई जिस दिन अप्रार्थीया प्रार्थी को जान से मारने की नियत से चक्कू लेकर घुम रही थी। अतः विवाह दिनांक 24.05.2010 को विच्छेद किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थिया को तलब किये जाने जाने हेतु तामील रजिस्टर्ड ए.डी. करायी जा चुकी है किंतु अप्रार्थिया बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर **आदेशिका दिनांक 31.10.2025 के अनुसार अप्रार्थिया मीना के विरूद्ध एकपक्षपीय कार्यवाही अमल में लायी गयी,** जिससे मामले में विवाद्यक कायम नहीं किये जा सके।

4. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में निम्न गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी :–

एड.1 मनोज कुमार

एड.2 बंशीधर

एड.3 विमला देवी

5. प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया :–

प्रदर्श–1 विवाह पंजीयन

प्रदर्श–2ए राशन कार्ड की प्रति

प्रदर्श–3ए	मनोज के आधार कार्ड की प्रति
प्रदर्श–4ए	प्रार्थी की पुत्री अनुराधा के आधार कार्ड की प्रति
प्रदर्श–5ए	प्रार्थी के पुत्र अजय के आधार कार्ड की प्रति
प्रदर्श–6	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढबास के समक्ष दिनांक 21.08.2025 को प्रस्तुत इस्तगासे में की गयी कार्यवाही के दस्तावेज की प्रति
प्रदर्श–7	बिमला देवी द्वारा मीना देवी के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे की प्रति।
प्रदर्श–8	एफआईआर संख्या–411/2025 पी.एस किशनगढबास की सत्यप्रति

6. बहस एकपक्षीय सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि :–

"आया पक्षकारान के मध्य अनुष्ठापित वैद्य विवाह दिनांक 24.05.2010 को विघटित किया जाकर एकपक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने योग्य है "

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का एकपक्षीय बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अप्रार्थिया का प्रार्थी व उसके परिवार के प्रति क्रूरतापूर्ण व अपमानजनक व्यवहार रहा है। प्रार्थीया अप्रार्थी व प्रार्थी माता–पिता व परिवार वालों के साथ छोटी–छोटी बातों को लेकर झगडा फसाद करती जिससे तंग आकर उसके माता–पिता व भाई अलग हो गये तथा अलग किराये के मकान मे रहने लगे। विवाह विच्छेद याचिका के समर्थन में प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रार्थी एड.1 मनोज कुमार सहित कुल 3 गवाह पेश कर परीक्षित कराये गये हैं। तीनों ही गवाहान ने अपनी साक्ष्य में प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया मीना देवी के साथ दिनांक 24.05.2010 को ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिन्दु धर्म व रीति रिवाज रस्म बिरादरी के अनुसार संपन्न होना, विवाह के पश्चात प्रार्थी के नुत्फे से अप्रार्थीया को 2 संतान पुत्री अनुराधा दिनांक 19.10.2011 को व पुत्र अजय दिनांक 18.01.2013 को पैदा होना, अप्रार्थीया चिडचिडे स्वभाव की व पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित औरत होना तथा उसके द्वारा प्रार्थी व उसके बच्चों को खाना नहीं बनाना व बच्चों व उसके माता–पिता के साथ मारपीट करना, दिनांक 18.08.2025 को अप्रार्थीया, प्रार्थी व उसके बच्चों के पीछे चाकू

लेकर मारने के लिए पीछे–पीछे घूमना, झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देना, प्रार्थी के माता–पिता द्वारा स्वयं का मकान अप्रार्थीया को दिया हुआ होना व उनका किराये के मकान में रहना व प्रार्थी व उसके परिजनों के साथ क्रूरता कारित किया जाना बताया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डित रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 को स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य दिनांक 24.05.2010 को अनुष्ठापित वैद्य विवाह को विखंडित किया जाकर एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

09. सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका एवं इसके समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. विवाह विच्छेद याचिका के समर्थन में प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह एड.1 मनोज, एड.2 बंशीधर एवं एड.3 विमला को पेश कर परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें पीड.1 मनोज ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया मीना देवी के साथ दिनांक 24.05.2010 को ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिन्दु धर्म व रीति रिवाज रस्म बिरादरी के अनुसार संपन्न हुआ था। जिसका विवाह पंजीयन दिनांक 30.07.2014 को कराया गया। विवाह के बाद से पक्षकारान बतौर पति–पत्नी ग्राम में साथ रहने लगे जिससे प्रार्थी के नुत्फे से अप्रार्थीया को 2 संतान पुत्री अनुराधा दिनांक 19.10.2011 को वह पुत्र अजय दिनांक 18.01.2013 को पैदा हुआ। अप्रार्थीया चिडचिडे स्वभाव की व पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित औरत है जो प्रार्थी व उसके बच्चों को खाना नहीं बनाती तथा बच्चों को मारती पीटती है। प्रार्थी झगडा करने के लिए अपने पीहर से अपनी माता व भाइयों को बुला लेती है जो उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देते हैं। प्रार्थी की माता द्वारा अप्रार्थीया का व्यवाहर प्रार्थी व उसके परिवार वालों के प्रति और ज्यादा उग्र होने पर अप्रार्थीया को शांति बनाये रखने के लिए अंतर्गत धारा 126 135–3 बीएनएस में पाबंद कराया हुआ है। दिनांक 18.08.2025 को अप्रार्थीया, प्रार्थी व उकसे बच्चों के पीछे चाकू लेकर मारने के लिए पीछे–पीछे घूमती रही उस दिन प्रार्थना पत्र के लिए बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा हुई। प्रार्थी का

अप्रार्थीया के साथ रहना संभव नहीं है। अप्रार्थीया का व्यवहार विवाह के बाद प्रार्थी के विरूद्ध क्रूरता का रहा है, इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीया से तलाक लेना चाहता है। प्रार्थी की ओर प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–8 दस्तावेज शपथपत्र के समर्थन में पेश किये हैं। गवाह ए.ड–2 बंशीधर व ए.ड–3 विमला ने अपनी साक्ष्य में प्रार्थी ए.ड–1 मनोज के कथनों की ही ताईद की है।

11. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के समर्थन में परीक्षित कराये गये गवाहान एड.1 लगायत एड.3 क्रमशः मनोज, बंशीधर व विमला ने अपनी सशपथ साक्ष्य से याचिका में वर्णित समग्र तथ्यों की पुष्टि की है तथा सभी साक्षीगण ने एक ही स्वर में प्रार्थी का विवाह अप्रार्थिया के साथ दिनांक 24.05.2010 को होने के तथ्य की पुष्टि की है। प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1ए विवाज पंजीयन प्रमाण पत्र व प्रदर्श–2ए राशन कार्ड की प्रति पेश कर प्रदर्शित करायी गयी है, जिनके अवलोकन से अप्रार्थिया मीना के प्रार्थी मनोज की पत्नी होने के तथ्य की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का दिनांक 24.05.2010 को विवाह होना एवं दोनो का पति–पत्नी होना तथा दोनों के नुत्फे से पुत्री अनुराधा व पुत्र अजय का जन्म होना भी प्रमाणित है।

गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रार्थी की पुत्री अनुराधा व पुत्र अजय उसी के साथ रहकर निवास कर रहे है तथा दोनों बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, पालन–पोषण एवं अन्य आवश्यकतओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की पुत्री अनुराधा व पुत्र अजय भविष्य में भी उसी के साथ रहेंगे।

प्रार्थी ने हस्तगत याचिका अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में यदि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) का अवलोकन किया जाये तो इसमें यह प्रावधित किया गया है कि :–

<u>धारा–13 तलाक</u>–

(1) ***कोई विवाह, भले वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी की ओर से पेश की गयी याचिका पर तलाक की आज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकेगा कि–***

(i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है, या

<u>(ia) विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीकार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है।</u>

12. उक्त प्रावधानों के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका एवं उसकी ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाये तो दस्तावेज प्रदर्श प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ क्रूर हो जाने व आये दिन लडाई–झगडा करने के कारण प्रार्थी की माता द्वारा एक परिवाद उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढबास के समक्ष अंतर्गत धारा 126 135(3), 170 बीएनएस में प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढबास द्वारा अप्रार्थीया को शांति बनाये रखने के लिए पाबंद किया हुआ है। अप्रार्थिया द्वारा विवाह के पश्चात से ही प्रार्थी, उसके बच्चों व परिवारजन के साथ बार–बार लडाई झगडा करना, आपसी मनमुटाव होना, क्रूरता करना, झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देना प्रमाणित है।

13. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थिया की ओर से किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्ण रूप से अखंडित रहने के कारण इस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं रह जाता है। प्रार्थी की ओर से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थीया का प्रार्थी व उसके परिवाजन के साथ क्रूरता व अपमानजनक व्यवहार किया जाना प्रमाणित है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी मनोज कुमार की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका विरूद्ध मीना, अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम–1955 उपरोक्त विवेचनानुसार एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

––आदेश––

14. परिणामतः प्रार्थी मनोज कुमार बसवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी सिख गुरद्वारे के पास किशनगढबास,जिला खैरथल–तिजारा की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीया मीना देवी पत्नी मनोज कुमार उम्र 38 वर्ष निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज., प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम–1955 एकपक्षीय रूप से स्वीकार की जाकर पक्षकारान के मध्य दिनांक 24.05.2010 को अनुष्ठापित वैद्य विवाह को विघटित किया जाकर विवाह विच्छेद किये जाने की घोषणा की जाती है। फलस्वरूप अब उनकी प्रास्थिति आज दिनांक 24.04.2026 से बतौर पति–पत्नी नहीं रहेगी।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णयानुसार नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(जगदीश प्रसाद मीना)

15. निर्णय आज दिनांक **24.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद मीना)